ई–मेल/समयबद्ध

संख्या–2325 /सत्तर–4–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 **लखनऊ :दिनांक 17 नवम्बर, 2021**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के चयनित विभाग/विभागों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किये जाने हेतु निर्गत दिशा–निर्देश (प्रति संलग्न) में आवेदन की प्रक्रिया के बिन्दु संख्या–5 में यह निर्देश दिये गये हैं कि पैनल द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल अर्ह पाये गये प्रस्तावों में 50 प्रतिशत प्रस्ताव विज्ञान वर्ग के अवश्य हों। सेंटर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रस्तावों में अधिकांश प्रस्ताव कला संकाय से सम्बन्धित होते हैं। फलस्वरूप विज्ञान संकाय के लिए अपेक्षित संख्या में प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाते हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेंटर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत विज्ञान वर्ग के प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विज्ञान वर्ग से सम्बन्धित विभागों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में स्थापित करने हेतु अपेक्षित धनराशि निर्गत की जा सके।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 1049 /साप्र/2021 दिनांक 26.11.2021

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपर्युक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय / विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
3. सचिव–कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।

HE 4 CoE पत्रलेखन

कुलसचिव